GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)

MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)

(RAILWAY BOARD)

****

No.2011/TG-I/20/P/ID New Delhi, Dated: 28 .06.2018

The Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 33 OF 2018)

Sub: Acceptance of digital Aadhaar and Driving Licence from Digital Locker as proof of identity of passengers for undertaking journey by Train.

*****

At present, the following proofs of identity are considered as valid for undertaking journey in any reserved class of Indian Railways:-

(i) Voter Photo identity card issued by Election Commission of India.
(ii) Passport.
(iii) PAN Card issued by Income Tax Department.
(iv) Driving Licence issued by RTO.
(v) Photo identity card having serial number issued by Central/State Government.
(vi) Student Identity Card with photograph issued by recognized School/ College for their students.
(vii) Nationalised Bank Passbook with photograph.
(viii) Credit Cards issued by Banks with laminated photograph.
(ix) Unique Identification Card -Aadhaar, m-Aadhaar & e-Aadhaar.
(x) Photo identity cards having serial number issued by Public Sector Undertakings of State/Central Government, District Administrations, Municipal bodies and Panchayat Administrations.
(xi) In case of reserved tickets booked through computerised Passenger Reservation System(PRS) counters, for undertaking journey in Sleeper(SL) & Second Reserved Sitting(2S) classes, attested photocopy of Ration Card with photographs and Nationalized Bank Passbook with photograph are also accepted.

2. The issue regarding accepting Aadhaar and Driving Licence as valid proof of identity when presented from digital locker account of the passenger has been examined and it has been decided that while undertaking journey in a train, if a passenger shows the Aadhaar/Driving Licence from the 'Issued Documents' section by logging into his/her DigiLocker account, the same should be considered as valid proof of identity. It is, however, clarified that the documents uploaded by the user himself/herself (i.e. the documents in 'Uploaded Documents' section) will not be considered as a valid proof of identity.

3. Necessary instructions may be issued to all concerned to avoid inconvenience to the passengers. Wide publicity through all possible means should be given to this revised provision for information of general public.

(Sanjay Manocha)
Jt. Director Passenger Marketing
Railway Board

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T),EDFC,DF(C),PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC,B 148,11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. DG, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

*****

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं.2011/टीजी-I/20/पी/आईडी नई दिल्ली, दिनांक: 28.06.2018

प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें

(2018 का वाणिज्य परिपत्र सं. 33)

विषय: गाड़ी से यात्रा करने के लिए यात्रियों की पहचान के साक्ष्य के रूप में डिजिटल लॉकर से डिजिटल आधार और ड्राइविंग लाइसेन्स को स्वीकार करना।

*****

वर्तमान में, भारतीय रेल की किसी भी आरक्षित श्रेणी में यात्रा करने के लिए पहचान के निम्नलिखित साक्ष्यों को वैध माना जाता है:-

i भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया वोटर फोटो पहचान पत्र ।
ii पासपोर्ट।
iii आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड।
iv आरटीओ द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस।
v केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, जिसमें क्रमांक संख्या हो।
vi मान्यताप्राप्त स्कूल/कालेज़ द्वारा विद्यार्थियों के लिए जारी किया गया विद्यार्थी पहचान पत्र, जिसमें फोटो लगी हो।
vii राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक, जिसमें फोटो लगी हो।
viii बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड, जिस पर फोटोग्राफ को लेमिनेट किया गया हो।
ix विशिष्ट पहचान पत्र -आधार, एम-आधार, ई-आधार।
x राज्य/केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, जिला प्रशासन, नगरपालिका निकाय और पंचायत प्रशासन द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, जिसमें क्रमांक संख्या हो।
xi स्लीपर (एसएल) एवं सेकंड आरक्षण सिटिंग (2एस) श्रेणी में यात्रा करने के लिए कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) काउंटर के माध्यम से बुक की गई आरक्षित टिकटों के मामले में, राशन कार्ड, जिसमें फोटो लगी हो और राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक, जिस पर फोटो लगी हो, की सत्यापित प्रतिलिपि भी स्वीकार की जाएगी।

2. यात्री के डिजिटल लॉकर अकाउंट से आधार और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने पर, इसे पहचान के वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के मामले की जांच की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि गाड़ी में यात्रा के दौरान, यदि कोई यात्री अपने डिजिलॉकर अकाउंट में लॉग-इन करके 'इश्यूड डोक्यूमेंट'

-2/-

सेक्शन से आधार/ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता है, तो इसे पहचान के वैध साक्ष्य के रूप में माना जाए। हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि उपयोगकर्ता द्वारा स्वयं अपलोड किए गए दस्तावेज़ (अर्थात 'अपलोडेड डोक्यूमेंट्स' सेक्शन के दस्तावेज) पहचान के वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

3. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। जन साधारण को सूचित करने हेतु इस संशोधित प्रावधान का सभी संभावित माध्यमों के जरिए व्यापक प्रचार किया जाए।

(संजय मनोचा)
संयुक्त निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

<u>प्रतिलिपि प्रेषित</u>:

1. सीसीएम/पीएम व सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2. का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक एफ (सी), पी पी एस/एफसी, वि. का. अधिकारी/टी सी, रेलवे बोर्ड की वित्त (सी) व सतर्कता (एस एस) शाखाएं ।
3. महानिदेशक/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टैट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110001.
4. महाप्रबंधक/पीआरएस-I, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, वड़ोदरा।
6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
7. निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-226011.
8. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोर्ड, नई दिल्ली।
9. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.

****